न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 127/18

1. हरकरण सिंह वल्द हरपाल सिंह कौम कश्मीरी ब्राहम्ण सिख, साकिन 22 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—वादी

बनाम

1. हरपाल सिंह वल्द महताब सिंह कौम कश्मीरी ब्राहम्ण सिख, साकिन मकान नं. 106, पुरानी शास्त्री कॉलानी, दुर्गा मन्दिर के सामने वार्ड नं. 10 रायसिंहनगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राज.काश्त.अधि.

उपस्थितिः—

1. श्री अशोक कुमार धायल अधिवक्ता वादी
2. श्री अमित कुमार लोटिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण

—:निर्णयः— दिनांकः— 27-11-2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88—53 राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पड़दादा लक्ष्मण पुत्र सुरजन सिंह निवासी 22 एनपी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति की एवज में दिनांक 20.08.52 को 19 एनपी के मु.नं. 46 नया 44 पं.नं. 172/342 के कि.नं. 1 ता 25 के 24 बीघा नहरी खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त परिवार का मुखिया होने के नाते आवंटन कर कब्जा वादी के पड़दादा लक्ष्मणसिंह पड़दादी दर्शन कौर दादा महताब सिंह व दादा के छोटे भाई प्रीतमसिंह को संयुक्त रूप से दे दिया। वादी के पड़दादा की दिनांक 22.06.64 को मृत्यु के पश्चात दिनांक 09.02.77 को इस भूमि का विरास्तन इन्तकाल बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादी की पड़दादी व दादा व दादा के छोटे भाई के नाम बहिब संयुक्त रूप से कर दिया। जिसमें वादी के दादा को 1/3 हिस्सा में 8 बीघा भूमि हासिल हुई। वादी के दादा की दिनांक 10.07.90 को सहदायी सम्पति में हित रखते हुए मृत्यु हो गई। जिसके बाद इस कृषि भूमि का विरास्तन ईन्तकाल दिनांक 10.02.91 को वादी के पिता के पक्ष में किया गया। इसके उपरान्त वादी का जन्म होने के कारण वादी दफा 5 जम्मु कश्मीर हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत इस सहदायी का उतरजीवी सदस्य होने के कारण कुल कृषि भूमि 1/3 हिस्सा का 1/2 हिस्सा यानि 4 बीघा कृषि भूमि दिनांक 02.03.2000 से प्राप्त करने का विधिक अधिकारी हो गया। वादी को अपने पिता के साथ उसका हिस्सा संयुक्त रूप से बहिब न्याय संगत हो गया। वादी द्वारा अपने पिता से संयुक्त सम्पति का दिनांक 21.04.18 को बंटवारा कर कि.नं. 12 ता 15 का पृथक कब्जा प्राप्त कर लिया। अतः दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे।

वादी के पक्ष में चक 19 एनपी के मु.नं. 46 नया 44 पं.नं. 171/342 के कि.नं. 12 ता 15 की 4 बीघा पर काश्तकारी के खातेदारी अधिकारों की घोषण की जावे एवं इसी अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से श्री अमित कुमार लोटिया अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जवाब (राजीनामा) प्रस्तुत किया। जो दिनांक 17.09.18 को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राज्य पक्ष की ओर से राजपैरोकार द्वारा दिनांक 25.09.18 को जवाब स्टेट

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

पेश किया गया। पुनः दिनांक 01.01.19 को संशोधित जवाब स्टेट पेश किया गया। निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आयाकि वादी के पड़दादा लछमनसिंह, पड़दादी दर्शन कौर, दादा महताबसिंह, दादा के छोटे भाई प्रीतमसिंह को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छोडी गई भूमि के बदले संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति के एवज में दिनांक 20.08.52 को चक 19 एनपी के मु.नं. पुराना 46 नया मु.नं. 44 पं.नं. 171/342 की 24 बीघा भूमि मुखिया होने के नाते आवंटन की गई थी ?

— वादी

2. आयाकि पड़दादा की मृत्यु होने के बाद विवादित भूमि का बन्दोबस्त विभाग द्वारा विरास्तन इन्तकाल बहिब दर्ज कर दिया। विवादित भूमि में वादी के दादा का 1/3 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई थी ?

—वादी

3. आयाकि वादी के दादा की दिनांक 10.07.90 को मृत्यु हो चुकी है तथा मृत्यु के पश्चात 10.02.91 को भूमि का विरास्तन ईन्तकाल वादी के पिता के पक्ष में किया गया था ?

—वादी

4. आयाकि उक्त विवादित पैतृक भूमि में वादी के पिता की 1/3 हिस्सा में मिली भूमि में वादी 1/2 हिस्सा बंटवारा कराकर खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है ?

—वादी

5. आयाकि पिता की की उक्त संयुक्त भूमि का दिनांक 21.04.18 को बंटवारा अनुसार कि.नं. 12 ता 15 में 4 बीघा भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है ?

—वादी

6. आयाकि वादी पैतृक सम्पति में प्राप्त भूमि का खातेदार घोषित कराकर बंटवारा कराने का अधिकारी है ?

—वादी

7. आयाकि वादी द्वारा मृतक लछमणसिंह के वाद की मद सं. 2 मे सजरा दर्ज किया गया है। जबकि वादी को विधिक न्यायालय द्वारा जारी वारिसनामा पेश नही करने के कारण दावा खारिज योग्य है

—राजपैरोकार

8. आयाकि विवादित भूमि पैतृक सम्पति का विभाजन कानूनन सही नही होने के कारण खारिज योग्य है एवं राज्य सरकार को Stamp Duty की हानि है ?

—राजपैरोकार

9. आयाकि विवादित भूमि पीएनबी बैंक शाखा रायसिंहनगर के रहन है, बैंक को पक्षकार नही बनाने के कारण दावा खारिज योग्य है ?

—राजपैरोकार

10. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में हरकरण सिंह वादी का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने पर दिनांक 17.07.19 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये। वादी द्वारा जमाबन्दी चक 19 एनपी सम्वत् 2069–72 खाता सं. नया 80, पुराना 3, 67 प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श–2 बन्दोबस्त विभाग को इन्तकाल पेश करने

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.02.77 को पेश किया व आदेश बन्दोबस्त। प्रदर्श–3 इन्तकाल सं. 31 करवाये गये। वाद में राजीनामा प्रस्तुत करने पर तनकीवार निर्णय नही किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 मु.नं. 43 के 5.948 है0 व मु.नं. 44 पं.नं. 171/342 के 3.594 है0 नहरी भूमि हरपालसिंह पुत्र महताब सिंह साकिन 22 एनपी खातेदार रहन पीएनबी शाखा रायसिंहनगर दर्ज है। प्रदर्श–3 अनुसार चक 19 एनपी के मु.नं. 44 की 6.074 है0 नहरी भूमि दर्शन कौर बेवा लक्षमण सिंह, महताब सिंह, प्रीतम सिंह पि0 लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज में से महताब सिंह की भूमि हरपाल सिंह पुत्र महताब सिंह के 1/3 हिस्सा नाम विरास्तन दर्ज की गई अंकित है। अतः राजीनामा अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उक्त विवेचन के आधार पर पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 29.08.18 तस्दीक दिनांक 17.09.18 के अनुसार वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादी हरकरण सिंह को चक 19 एनपी के मु.नं. 46 नया 44 पं.नं. 171/342 के कि.नं. 12 ता 15 की 1.012 है0 नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-11-2019 **को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।**

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.11 12:46:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: